HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14148/2026
CNR: RJHC020873732026 | URN: CRLMB / 26099U / 2026

Vijay Singh @ Kalu S/o Nagaram, Aged About 27 Years, R/o Sanwta P.s. Khandar, District Sawai Madhopur. (Accused In Present Confined In District Jail Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Hari Ram Gurjar
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

18/11/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना खण्डार, जिला–सवाईमाधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 111(2)(ख) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66सी, 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसने साईबर ठगी के 23,583 रूपये अपने म्यूल बैंक खाते में प्राप्त किये हैं। इस न्यायालय द्वारा सहअभियुक्त गिर्राज को दिनांक 05.11.2026 को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 29.07.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर संगठित रूप से किये जाने वाले साईबर अपराध का अभियोग है। प्रार्थी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त पर साईबर ठगी के 23,583 रूपये अपने बैंक खाते में प्राप्त करने का आक्षेप है। प्रकरण में सहअभियुक्त गिर्राज को दिनांक 05.11.2026 को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 29.07.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक दूसरे माह (alternatively) की 10 तारीख तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक दो माह पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/34/VISHAL SHARMA